



क्रमांक 328 / बै.प्र. / कार्यपरिषद् / 2025

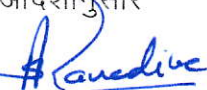
बिलासपुर, दिनांक : 12-01-2025

॥ कार्यालयीय ज्ञाप ॥

कार्यालयीय ज्ञाप क्रमांक 49/बै.प्र./का.प./2024 बिलासपुर दिनांक 24.02.2024 द्वारा डॉ० अल्का एक्का, सहायक आचार्य, बायोटेक्नालॉजी विभाग को कार्यपरिषद् में संशोधित परिनियम 11(1)(ix) के प्रावधानानुसार सदस्य के रूप में नामांकित किये जाने संबंधी सूचना जारी की गई थी। डॉ० अल्का एक्का, सहायक आचार्य, बायोटेक्नालॉजी विभाग द्वारा पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण कार्यपरिषद् की सदस्यता से मुक्त किये जाने संबंधी ई-मेल दिनांक 12.01.2025 को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है। डॉ० अल्का एक्का द्वारा प्रस्तुत ई-मेल को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप कार्यपरिषद् में इस श्रेणी से सदस्य का पद रिक्त हो गया है।

तदनुसार कार्यपरिषद् में रिक्त हुए सदस्य के पद के विरुद्ध केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, संशोधित परिनियम 11(1)(ix) के प्रावधानानुसार कुलपति महोदय द्वारा डॉ० मधुलिका सिंह, सहायक आचार्य, वनस्पतिशास्त्र विभाग को कार्यपरिषद् में सदस्य नामांकित किया गया है।

कार्यपरिषद् में सदस्य के रूप में डॉ० मधुलिका सिंह, सहायक आचार्य, वनस्पतिशास्त्र विभाग का कार्यकाल दिनांक 04.05.2025 को समाप्त होगा।

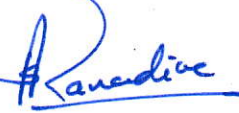
आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ० क्रमांक 329 / बै.प्र. / कार्यपरिषद् / 2025

बिलासपुर दिनांक : 12-01-2025

प्रतिलिपि :-

- 1) सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
- 2) संयुक्त सचिव (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
- 3) सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
- 4) कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक को कुलपति महोदय/कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
- 5) कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ।
- 6) संबंधितों की ओर सूचनार्थ।
- 7) प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबपटल/निदेशक, आईक्यूएसी/ प्रशासन/अकादमी/परीक्षा/वित्त/विकास विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 8) कार्यालय प्रति


कुलसचिव (कार्यवाहक)